अमर कांत चौधरी

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(Amar Kant Choudhary

v.

The State of Bihar and Others)

(3 जनवरी, 1984)

(न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामय्या और आर० बी० मिश्र)

संविधान, 1950—अनुच्छेद 311, 309 का परन्तुक [सपठित पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 का नियम 9(1) और पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 का विनियम 4]—प्रोन्नति—भारतीय पुलिस सेवा काडर में प्रोन्नति—गोपनीय पंजी—प्रतिकूल टिप्पणी के कारण चयन समिति द्वारा पुलिस कर्मचारी की प्रोन्नति के मामले पर विचार न किया जाना—प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में उक्त कर्मचारी को संसूचित न किया जाना—अभ्यावेदन करने पर राज्य सरकार द्वारा उन प्रतिकूल टिप्पणियों को लुप्त कर दिया जाना, किन्तु फिर भी गोपनीय पंजी से उन टिप्पणियों को न हटाया जाना—कर्मचारी के पक्ष में की गई टिप्पणियों को समिति के समक्ष न रखा जाना—चूंकि चयन समिति ने अपने विनिश्चय का आधार प्रतिकूल टिप्पणियों को बनाया था और पक्ष में की गई टिप्पणियों को विचार में नहीं लिया था, इसलिए अपीलार्थी को भारतीय पुलिस सेवा काडर में प्रोन्नत न करने विषयक समिति का विनिश्चय दूषित है।

संविधान, 1950—अनुच्छेद 311—गोपनीय पंजी में प्रतिकूल टिप्पणियों को प्रविष्ट करने की उचित प्रक्रिया—सम्बन्धित अधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणियां विलम्ब से संसूचित करने से बचने की दृष्टि से या तो वे प्रतिकूल टिप्पणियां सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष अभिलिखित की जानी चाहिएं जिससे कि वह पहले ही उच्चतर अधिकारियों को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके, अथवा गोपनीय

पंजी पुनर्विलोकन करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तुत करने के पूर्व ही उसकी एक प्रति प्रभावित अधिकारी को दे दी चाहिए।

अपीलार्थी को 1964 में बिहार राज्य के पुलिस विभाग में पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में सीधे भर्ती और नियुक्त किया गया था। 1973 में वह भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन विरचित भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1975 के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के उपबंधों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए विचार किए जाने का पात्र था। उसका मामला 1973, 1974, 1975 और 1976 में बिहार राज्य के भारतीय पुलिस सेवा काडर में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करने के प्रयोजनार्थ विनियमों के विनियम 4 के अधीन गठित समिति के समक्ष पेश किया गया था। 1973, 1974 और 1975 वाले वर्षों में उसे चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, क्योंकि वह उन लोगों से कनिष्ठ था जिन्हें चयन सूची में सम्मिलित किया गया था। 1976 वाले वर्ष में उसका नाम चयन सूची में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि 1973-74 वाली उसकी गोपनीय पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि थी। चयन समिति ने अपीलार्थी की गोपनीय पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि को देखते हुए 22 दिसम्बर, 1976 को हुई अपनी बैठक में अपीलार्थी को अतिष्ठित करने का विनिश्चय किया। इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में (समिति की) बैठक होने के बाद 1977 में अपीलार्थी को संसूचित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 1974-75 वाले वर्ष के लिए भी अपीलार्थी की वार्षिक गोपनीय पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं। वे अपीलार्थी को 1976 में संसूचित की गई। अपीलार्थी ने दोनों ही प्रतिकूल प्रविष्टियों के सम्बन्ध में समय से अभ्यावेदन किया। उसकी मुख्य व्यथा यह थी कि वे प्रविष्टियां उसके उस शासकीय वरिष्ठ अधिकारी ने की है जो उसके विरुद्ध पूर्वधारणा से प्रेरित था। 1973-74 वाले वर्ष के लिए गोपनीय पंजी में जो प्रतिकूल प्रविष्टि की गई थी, उसे राज्य सरकार ने 3 दिसम्बर, 1980 वाले अपने आदेश द्वारा लुप्त कर दिया और 1974-75 वाले वर्ष के लिए जो गोपनीय पंजी थी, उसमें की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को 21 फरवरी, 1978 और 7 अक्तूबर, 1980 वाले दो आदेशों द्वारा लुप्त कर दिया गया। 1977 से 1980 के बीच चयन समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई। तथापि, उसकी बैठक 11-12 मार्च, 1981 को हुई। इस अवसर पर अपीलार्थी ने समिति के समक्ष यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उसकी गोपनीय

1984(1) eILR(PAT) SC 1

पंजी में जो प्रतिकूल प्रविष्टियां की गई थीं, उन्हें राज्य सरकार ने अपने विभिन्न आदेशों द्वारा हटा दिया है और इसलिए उसने उस समिति से यह प्रार्थना की कि भारतीय पुलिस सेवा काडर में उसकी प्रोन्नति के सम्बन्ध में उसके मामले पर विचार किया जाए। इस अवसर पर समिति ने 1979-80 और 1980-81 वाले वर्षों के लिए अपीलार्थी की गोपनीय पंजी की जांच नहीं की जिनमें प्रविष्टियां अपीलार्थी के बहुत पक्ष में मौजूद थीं, जिसके लिए अपीलार्थी का कोई दोष नहीं था। तथापि, समिति ने उसे "अच्छा" वर्गीकृत किया, किन्तु उसका नाम चयन सूची में शामिल नहीं किया, जबकि उससे कनिष्ठ अधिकारियों में से कुछ के नाम उसमें शामिल कर लिए गए। अपीलार्थी ने समिति द्वारा किए गए विनिश्चय के विरुद्ध समिति को तथा राज्य सरकार को अभ्यावेदन किया। समिति की बैठक पुन: 14 अक्तूबर, 1981 को हुई। जबकि अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदनों का कोई परिणाम नहीं निकला, तो उसने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चयन समिति के विनिश्चयों की विधिमान्यता को प्रश्नगत करते हुए रिट पिटीशन फाइल किया। वह पिटीशन ग्रहण करने के प्रक्रम में ही खारिज कर दिया गया। यह अपील उच्च न्यायालय के उसी आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई है। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—भारतीय पुलिस काडर में प्रोन्नति के लिए अपीलार्थी के मामले पर समिति ने न्यायोचित और उचित रीति से विचार नहीं किया। चयन समिति ने अपनी बैठकों में जिनमें कि अपीलार्थी के मामले पर विचार किया गया था, जो विनिश्चय किए, वे इस कारण दूषित हैं, क्योंकि उन प्रतिकूल टिप्पणियों का अवलम्ब लिया गया था जो कि बाद में चलकर लुप्त कर दी गई थीं। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के पिटीशन को खारिज करके गलती की है और इसी कारण से वह अपास्त किए जाने के लायक है। तदनुसार, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी ने बिहार राज्य के भारतीय पुलिस सेवा काडर में 22 दिसम्बर, 1976 को जैसी कि स्थिति थी, उसके अनुसार अपनी प्रोन्नति के प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए और यदि उसका चयन उस तारीख को नहीं किया जाता है, तो 12 मार्च, 1981 को जैसी स्थिति थी, उसके अनुसार पुनर्विचार किए जाने के लिए, अपना मामला बना लिया है। यदि उसका चयन 12 मार्च, 1981 को नहीं किया जाता है, तो 14 अक्तूबर, 1981 को जो स्थिति थी, उसके अनुसार उसके मामले पर विचार करना पड़ेगा। चयन समिति को अब पहले की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बाद में

1984(1) eILR(PAT) SC 1

चलकर किए गए आदेशों या अपीलार्थी की सेवा से सम्बन्धित उसी प्रकार के अन्य आदेश को विचार में लेने के बाद, तदनुसार अपीलार्थी के मामले पर पुनर्विचार करना है। यदि ऐसे पुनर्विचार करने पर अपीलार्थी का चयन हो जाता है, तो यह ज्येष्ठता और उससे उत्पन्न होने वाले सभी पारिणामिक अन्य फायदे प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया गया कि वे अपीलार्थी के मामले पर पुनर्विचार करें। आशा है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन शीघ्रता के साथ किया जाएगा। किसी भी स्थिति में आज से चार मास से अधिक नहीं लगाया जाएगा। (पैरा 8)

ऐसी आकस्मिकता से बचने की दृष्टि से सरकार ऐसी पद्धति आरम्भ करने पर विचार कर सकती है जिसमें ऐसे अधिकारी से जिसकी गोपनीय पंजी में प्रविष्टियां करनी हों, यह अपेक्षा की जाए कि वह उस अधिकारी की उपस्थिति में ही जिसके विरुद्ध उन टिप्पणियों का किया जाना प्रस्थापित है, ऐसी परिस्थिति स्पष्ट करने का उसे अवसर देने के बाद जो कि उसके विरुद्ध प्रतीत हो, अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करे और इसके साथ ही उसे किन्हीं भी प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध उच्चतर प्राधिकारियों को अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा। यह मार्ग अपनाने से गोपनीय पंजी में की जाने वाली निराधार टिप्पणियों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा और इससे अनावश्यक परेशानी कम हो सकेगी जो कि सम्बन्धित अधिकारियों को होती है। एक-दूसरी पद्धति जोकि आरम्भ की जा सकती है, यह है कि उस अधिकारी से जो कि गोपनीय टिप्पणियां अभिलिखित करता है, उच्चतर प्राधिकारियों के समक्ष गोपनीय पंजी प्रस्तुत करने से पूर्व, सम्बन्धित अधिकारी पर ऐसी टिप्पणियों की तामील करने के लिए कहा जाए जिससे कि ऐसी टिप्पणियों के विरुद्ध उसका अभ्यावेदन भी गोपनीय पंजी प्राप्त होने के थोड़े समय बाद ही उच्चतर प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। इसके परिणामस्वरूप अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने में जो विलम्ब होता है, वह कम हो जाएगा। निलम्बनों, गोपनीय पंजी में प्रतिकूल टिप्पणियों और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्राय: स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में जो आदेश किए जाते हैं, वे अनेक बार न्यायौचित्य के और सम्बन्धित अधिकारियों को युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किए जाते हैं और ऐसी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सेवाओं में उत्साह भंग होता है। ऐसे मामले में न्यायालय बहुत ही कम अनुतोष दे सकते हैं। अत: स्वयं कार्यपालिका को उन अधिकारियों को जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, होने वाली कठिनाई कम करने के प्रभावी उपाय करना चाहिए। (पैरा 9)

1984(1) eILR(PAT) SC 1

प्रभेदित निर्णय

पैरा

[1976] [1976] 1 उम० नि० प० 1045= [1971] 2 एस० सी० आर० 55: **आर० एल० बुटेल** बनाम **भारत संघ और अन्य** (R. L. Butail *v.* Union of India and Others). 7

अनुसरित निर्णय

[1980] [1980] 2 उम० नि० प० 88—103= [1979] 3 एस० सी० आर० 518: **गुरदयाल सिंह फ़िज्जी** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** (Gurdial Singh Fijji *v.* State of Punjab and Others); 5, 7

सिविल अपीली अधिकारिता : 1983 की सिविल अपील सं० 8491.

1982 के सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 1420 में पटना स्थित पटना उच्च न्यायालय के तारीख 5 अक्तूबर, 1982 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री पी० आर० मृदुल और एम० पी० झा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री वी० वी० सिंह.

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामय्या ने दिया।

न्यायाधिपति वेंकटरामय्या—

यह अपील 1982 के सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 1420 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 5 अक्तूबर, 1982 वाले आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई है जिसके द्वारा उसने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए पिटीशन को खारिज कर दिया था।

2. इस मामले के तथ्य ये हैं: अपीलार्थी को 1964 में बिहार राज्य के पुलिस विभाग में पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में सीधे भर्ती और नियुक्त किया गया था। 1973 में वह भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के

नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन विरचित भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के उपबन्धों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए विचार किए जाने का पात्र था। उसका मामला 1973, 1974, 1975 और 1976 में बिहार राज्य के भारतीय पुलिस सेवा काडर में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करने के प्रयोजनार्थ विनियम के विनियम 4 के अधीन गठित समिति के समक्ष पेश किया गया था। 1973, 1974 और 1975 वाले वर्षों में उसे चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, क्योंकि वह उन लोगों से कनिष्ठ था जिन्हें चयन सूची में सम्मिलित किया गया था। 1976 वाले वर्ष में उसका नाम चयन सूची में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि 1973-74 वाली उसकी गोपनीय पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि थी। जिन कारणों से समिति ने गोपनीय पंजी को आधार मानते हुए अपीलार्थी को अतिष्ठित किया था, वे ये थे—

> "लम्बित कागजपत्रों और पर्यवेक्षण टिप्पणों का विलम्बित निपटारा। कार्यालय पर अपर्याप्त नियंत्रण, निर्णय लेने की शक्ति, पहल करने की शक्ति, उत्तरदायित्व की भावना और प्रबन्ध करने की शक्ति के बारे में यह रिपोर्ट की गई कि वह ठीक ही है। तारीख 20 अक्तूबर, 1975 वाले राज्य सरकार के आदेश द्वारा उसकी परिनिंदा की गई है।"

3. चयन समिति ने अपीलार्थी की गोपनीय पंजी में उपर्युक्त प्रविष्टि को देखते हुए 22 दिसम्बर, 1976 को हुई अपनी बैठक में अपीलार्थी को अतिष्ठित करने का विनिश्चय किया। इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में (समिति की) बैठक होने के बाद 1977 में अपीलार्थी को संसूचित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 1974-75 वाले वर्ष के लिए भी अपीलार्थी की वार्षिक गोपनीय पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं। वे अपीलार्थी को 1976 में संसूचित की गईं। अपीलार्थी ने दोनों ही प्रतिकूल प्रविष्टियों के सम्बन्ध में समय से अभ्यावेदन किया। उसकी मुख्य व्यथा यह थी कि वे प्रविष्टियां उसके उस शासकीय वरिष्ठ अधिकारी ने की हैं जो उसके विरुद्ध पूर्वधारणा से प्रेरित था। 1973-74 वाले वर्ष के लिए गोपनीय पंजी में जो प्रतिकूल प्रविष्टि की गई थी, उसे राज्य सरकार ने 3 दिसम्बर, 1980 वाले अपने आदेश द्वारा लुप्त कर दिया और 1974-75 वाले वर्ष के

1984(1) eILR(PAT) SC 1

लिए जो गोपनीय पंजी थी, उसमें की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को 21 फरवरी, 1978 और 7 अक्तूबर, 1980 वाले दो आदेशों द्वारा लुप्त कर दिया गया। 1977 से 1980 के बीच चयन समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई। तथापि उसकी बैठक 11-12 मार्च, 1981 को हुई। इस अवसर पर अपीलार्थी ने समिति के समक्ष यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उसकी गोपनीय पंजी में जो प्रतिकूल प्रविष्टियां की गई थीं, उन्हें राज्य सरकार ने अपने विभिन्न आदेशों द्वारा हटा दिया है और इसलिए उसने उस समिति से यह प्रार्थना की कि भारतीय पुलिस सेवा काडर में उसकी प्रोन्नति के सम्बन्ध में उसके मामले पर विचार किया जाए। इस अवसर पर समिति ने 1979-80 और 1980-81 वाले वर्षों के लिए अपीलार्थी की गोपनीय पंजी की जांच नहीं की जिनमें प्रविष्टियां अपीलार्थी के बहुत पक्ष में मौजूद थीं, जिसके लिए अपीलार्थी का कोई दोष नहीं था। तथापि, समिति ने उसे 'अच्छा' वर्गीकृत किया, किन्तु उसका नाम चयन सूची में शामिल नहीं किया, जबकि उससे कनिष्ठ अधिकारियों में से कुछ के नाम उसमें शामिल कर लिए गए। अपीलार्थी ने समिति द्वारा किए गए विनिश्चय के विरुद्ध समिति को तथा राज्य सरकार को अभ्यावेदन किया। समिति की बैठक पुन: 14 अक्तूबर, 1981 को हुई। जबकि अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदनों का कोई भी परिणाम नहीं निकला, तो उसने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चयन समिति के विनिश्चयों की विधिमान्यता को प्रश्नगत करते हुए रिट पिटीशन फाइल किया। वह पिटीशन ग्रहण करने के प्रक्रम में ही खारिज कर दिया गया। यह अपील उच्च न्यायालय के उसी आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई है।

4. हमारे समक्ष जिस मुख्य मुद्दे पर जोर दिया गया है, वह यह है कि चयन समिति ने ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियों का जो कि उसकी गोपनीय पंजी में की गई थीं और जो उसे या तो संसूचित नहीं की गई थीं या जिनके विरुद्ध उसने अभ्यावेदन किया था किन्तु जिनका निपटारा नहीं हुआ था या जो बाद में चलकर लुप्त कर दी गई थीं, अवलम्ब लेते हुए 1976 वाले वर्ष में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए अपीलार्थी के दावे को खारिज करके अवैध कार्य किया था।

5. ऐसे मामलों को शासित करने वाली वास्तविक विधिक स्थिति **गुरदयाल सिंह फिज्जी बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा

---

[1] [1980] 2 उम० नि० प० 88-103=[1979] 3 एस० सी० आर० 518.

1984(1) eILR(PAT) SC 1

नियुक्ति) विनियम, 1955 के अधीन उत्पन्न ऐसा मामला था जो कि न्यूनाधिक रूप से भारतीय पुलिस सेवा को लागू विनियमों का तत्सम्बन्धी है। उपर्युक्त मामले में मुख्य न्यायाधिपति चन्द्रचूड़ ने इस प्रकार मत व्यक्त किया है—

> "यह सिद्धान्त सुनिश्चित है कि नैसर्गिक-न्याय के नियमों के अनुसार गोपनीय पंजी में अहितकर रिपोर्ट पर तब तक प्रोन्नति सम्बन्धी अवसर से वंचित करने के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि इसे सम्बन्धित व्यक्ति को संसूचित न कर दिया जाए जिससे कि उसे अपने कार्य और आचरण में सुधार करने का अवसर मिल सके या वह उस रिपोर्ट की परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके। ऐसा अवसर मात्र औपचारिकता नहीं है, इसका उद्देश्य भागत: वरिष्ठ प्राधिकारियों को सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण पर विचार करके इस बात का विनिश्चय करना है कि क्या अहितकर रिपोर्ट न्यायोचित थी। दुर्भाग्य से, किसी न किसी कारण जो अपीलार्थी की गलती से उद्भूत नहीं हुए हैं, यद्यपि अहितकर रिपोर्ट उसे संसूचित कर दी गई थी। सरकार उसके इस स्पष्टीकरण पर विचार करने में और इस बात का विनिश्चय करने में कि क्या रिपोर्ट न्यायोचित थी, समर्थ नहीं हो सकी। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी को सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के जारी न करने का समर्थन करना कठिन है। प्रतिकूल रिपोर्ट से क्रिया-प्रतिक्रिया शुरू हुई और कार्य-कारण के सम्बन्ध में कमी यह है कि किसी ने भी अभी तक इस बात का विनिश्चय नहीं किया कि क्या रिपोर्ट न्यायोचित थी। सही अभिवचन के न होने पर हम इस बात की परिकल्पना नहीं कर सकते कि क्या अपीलार्थी अन्यथा अर्थात् उसे सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के जारी न किए जाने से सम्बन्धित कारणों से भिन्न कारणों से योग्य नहीं पाया गया था।"

6. इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि ऐसे अधिकारियों का जिनके मामले विचार के लिए लिए जाते हैं, भारतीय पुलिस सेवा काडर में प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए, 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' या 'बुरा' आदि में वर्गीकरण गोपनीय पंजियों में की गई टिप्पणियों पर मुख्यत: आधारित होता है। 22 दिसम्बर, 1976 को जब चयन समिति की बैठक हुई, तो 1973-74 के लिए गोपनीय पंजी में की गई प्रतिकूल टिप्पणियां अपीलार्थी को संसूचित नहीं की गई थीं और 1974-75 वाले वर्ष के लिए गोपनीय पंजी में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों से सम्बन्धित उसके अभ्यावेदन और उसके विरुद्ध की गई परिनिन्दा का निपटारा नहीं किया गया था, यद्यपि यह अभिकथित किया गया

कि श्री यमुना राम नाम के एक व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं, चयन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया था। जबकि 11 और 12 मार्च, 1981 को चयन समिति की बैठक हुई, तो अभिलेख पर 1976-77 वाले वर्ष के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों को न बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के स्वप्रेरणा से किए गए विनिश्चय के बावजूद गोपनीय पंजी में से उन्हें नहीं हटाया गया था। इसने चयन समिति के विनिश्चय को अवश्य ही प्रभावित किया होगा। यह बात भी देखी गई है कि 1979-80 और 1980-81 वाले वर्ष के लिए अपीलार्थी की गोपनीय पंजियां जिनमें अपीलार्थी के पक्ष में प्रविष्टियां मौजूद थीं, चयन समिति के समक्ष पेश नहीं की गई। 14 अक्तूबर, 1981 को जबकि चयन समिति की बैठक हुई, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का चयन न किए जाने के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। इन सभी बातों के अलावा राज्य सरकार ने समय-समय पर जो आदेश किए थे, उनके द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियां लुप्त कर दी गई हैं। प्रत्यर्थियों ने इन तथ्यों का प्रतिवाद नहीं किया है।

7. इस मामले के तथ्यों का **आर० एल० बुटेल** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में जिसका अवलम्ब प्रत्यर्थियों ने लिया है, इस न्यायालय के विनिश्चय में अन्तर्ग्रस्त तथ्यों से प्रभेद किया जा सकता है। उस मामले में जो अपीलार्थी था, उसकी 1964 वाली गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी मौजूद थी और उसने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया था। जबकि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक मार्च, 1966 में हुई, तो 1964 की प्रतिकूल प्रविष्टि से सम्बन्धित अपीलार्थी का अभ्यावेदन उसके समक्ष पेश किया गया और चयन समिति ने उक्त अभ्यावेदन के प्रति निर्देश किए बिना, अपीलार्थी के विरुद्ध विनिश्चय ले लिया। अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष यह दलील दी कि समिति की बैठक की तारीख के पहले उसके अभ्यावेदन पर विचार करने में जो लोप हुआ है, उसके परिणामस्वरूप उसका विनिश्चय दूषित हो गया है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि समिति के समक्ष उक्त अभ्यावेदन को पेश करने में हुए लोप का या बैठक की तारीख के पहले उस पर विचार न करने का प्रभाव समिति के विनिश्चय पर नहीं पड़ा था, क्योंकि बाद में चलकर अभ्यावेदन वास्तव में अस्वीकृत कर दिया गया था जिसका परिणाम यह हुआ कि 1964 वाली गोपनीय रिपोर्ट अपरिवर्तित बनी रही। हमारे समक्ष जो स्थिति है, वह भिन्न है। यहां पर प्रश्नगत प्रतिकूल प्रविष्टियों को राज्य सरकार

---

[1] [1976] 1 उम० नि० प० 1045=[1971] 2 एस० सी० आर० 55.

1984(1) eILR(PAT) SC 1

ने बाद में चलकर वास्तव में लुप्त कर दिया है। यहां पर यह कहना महत्वपूर्ण हो सकता है कि **बुटे वाले (उपर्युक्त) मामले**[1] में निर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की परिपाटी यह थी कि यदि ऐसे मामले में अभ्यावेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके परिणामस्वरूप गोपनीय रिपोर्ट में परिवर्तन कर दिया जाएगा या प्रतिकूल प्रविष्टियों को लुप्त कर दिया जाएगा, तो समिति को ऐसे परिणाम की रोशनी में अपनी सिफारिशों का पुनर्विलोकन करना होगा। प्रस्तुत मामले में जो अपीलार्थी है, उसने हमारे समक्ष उसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के लिए जोर डाला है, क्योंकि उसके विरुद्ध की गई प्रतिकूल प्रविष्टियां पहले ही लुप्त कर दी गई हैं।

8. हमने, अपने समक्ष पेश की गई निर्विवाद सामग्री पर गम्भीरता से विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय पुलिस काडर में प्रोन्नति के लिए अपीलार्थी के मामले पर समिति ने न्यायोचित और उचित रीति से विचार नहीं किया है और उसके मामले का निपटारा **गुरदयाल सिंह फिज्जी वाले मामले**[2] में अधिकथित सिद्धान्तों के प्रतिकूल किया गया है। चयन समिति ने अपनी बैठकों में जिनमें कि अपीलार्थी के मामले पर विचार किया गया था, जो विनिश्चय किए, वे इस कारण दूषित हैं क्योंकि उन प्रतिकूल टिप्पणियों का अवलम्ब लिया गया था जो कि बाद में चलकर लुप्त कर कर दी गई थीं। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के पिटीशन को खारिज करके गलती की है और इसी कारण से वह अपास्त किए जाने के लायक है। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त करते हैं। हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी ने बिहार राज्य के भारतीय पुलिस सेवा काडर में 22 दिसम्बर, 1976 को, जैसी कि स्थिति थी उसके अनुसार अपनी प्रोन्नति के प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए और यदि उसका चयन उस तारीख को नहीं किया जाता है, तो 12 मार्च, 1981 को जैसी स्थिति थी, उसके अनुसार पुनर्विचार किए जाने के लिए, अपना मामला बना लिया है। यदि उसका चयन 12 मार्च, 1981 को नहीं किया जाता है, तो 14 अक्तूबर, 1981 को जो स्थिति थी, उसके अनुसार उसके मामले पर विचार करना पड़ेगा। चयन समिति को अब पहले की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बाद में चलकर किए गए आदेशों या अपीलार्थी की सेवा से सम्बन्धित उसी प्रकार के अन्य आदेश को विचार में लेने के बाद, तदनुसार अपीलार्थी के मामले पर पुनर्विचार करना है। यदि ऐसे पुनर्विचार करने पर अपीलार्थी का चयन हो जाता है, तो वह

---

1 [1976] 1 उम० नि० प० 1045=[1971] 2 एस०सी०आर० 55.

2 [1980] 2 उम० नि० प० 88=[1979] 3 एस० सी० आर० 578.

1984(1) eILR(PAT) SC 1

ज्येष्ठता और उससे उत्पन्न होने वाले सभी पारिणामिक अन्य फायदे प्राप्त करने का हकदार होगा। हम प्रत्यर्थी को यह निदेश देते हैं कि वे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलार्थी के मामले पर पुनर्विचार करें। हमें आशा है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन शीघ्रता के साथ किया जाएगा। किसी भी स्थिति में आज से चार मास से अधिक नहीं लगाया जाएगा।

9. समाप्त करने के पूर्व, हम यह कहना चाहेंगे कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अब इस बात की जांच करें कि क्या गोपनीय पंजी बनाए रखने की वर्तमान पद्धति बनाई रखी जानी चाहिए। वर्तमान पद्धति के अधीन प्रविष्टियां पहले किसी अधिकारी के पीठ पीछे उसकी गोपनीय पंजी में की जाती हैं और फिर उसे किसी ऐसी प्रविष्टि के विरुद्ध जो कि उसके विरुद्ध की गई हो, पर्याप्त विलम्ब के बाद प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करके अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाता है। वह जो भी अभ्यावेदन करता है, उस पर उच्चतर प्राधिकारी या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, जैसी कि स्थिति हो, कुछ वर्षों के बाद उस पर विचार करती है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, जिस समय तक ऐसा साक्ष्य जो कि यह दर्शित करने के लिए मौजूद हो कि प्रविष्टियां निराधार हैं, समाप्त हो सकता है। ऐसी कठिन परिस्थिति के बारे में जिसमें कि ऐसा अधिकारी पड़ जाता है, जिसके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियां की गई हैं, सरलता के साथ अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे प्राधिकारी के लिए भी जिसे अधिकारी के अभ्यावेदन पर आदेश पारित करना पड़ता है, समय के अधिक अन्तराल के बाद समाधानकारी रूप से उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करना कठिन हो जाएगा। इसी बीच सम्बन्धित अधिकारी ऐसे अनेक अवसर खो चुका होगा जो कि सेवा में उसकी सम्भावनाओं को अग्रसर करते हैं। ऐसी आकस्मिकता से बचने की दृष्टि से सरकार ऐसी पद्धति आरम्भ करने पर विचार कर सकती है जिसमें ऐसे अधिकारी से जिसको गोपनीय पंजी में प्रविष्टियां करनी हों, यह अपेक्षा की जाए कि वह उस अधिकारी की उपस्थिति में ही जिसके विरुद्ध उन टिप्पणियों का किया जाना प्रस्थापित है, ऐसी परिस्थिति स्पष्ट करने का उसे अवसर देने के बाद जो कि उसके विरुद्ध प्रतीत हो, अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करे और इसके साथ ही उसे किन्हीं भी प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध उच्चतर प्राधिकारियों को अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा। यह मार्ग अपनाने से गोपनीय पंजी में की जाने वाली निराधार टिप्पणियों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा और इससे अनावश्यक परेशानी कम हो सकेगी जो कि सम्बन्धित अधिकारियों को होती है। एक दूसरी पद्धति जो कि आरम्भ की जा सकती है, यह है कि

उस अधिकारी से जो कि गोपनीय टिप्पणियां अभिलिखित करता है, उच्चतर प्राधिकारियों के समक्ष गोपनीय पंजी प्रस्तुत करने से पूर्व, सम्बन्धित अधिकारी पर ऐसी टिप्पणियों की तामील करने के लिए कहा जाए जिससे कि ऐसी टिप्पणियों के विरुद्ध उसका अभ्यावेदन भी गोपनीय पंजी प्राप्त होने के थोड़े समय बाद ही उच्चतर प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। इसके परिणामस्वरूप अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने में जो विलम्ब होता है, वह कम हो जाएगा। निलम्बनों, गोपनीय पंजी में प्रतिकूल टिप्पणियों और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्राय: स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में जो आदेश किए जाते हैं, वे अनेक बार न्यायौचित्य के और सम्बन्धित अधिकारियों को युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किए जाते हैं और ऐसी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सेवाओं में उत्साह भंग होता है। ऐसे मामले में न्यायालय बहुत ही कम अनुतोष दे सकते हैं। अत: स्वयं कार्यपालिका को उन अधिकारियों को जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, होने वाली कठिनाई कम करने के प्रभावी उपाय करना चाहिए। इन प्रश्नों की परीक्षा हाल के वर्षों में प्राप्त अनुभव की रोशनी में नए सिरे से करनी चाहिए और जहां तक सम्भव हो, उन वरिष्ठ अधिकारियों के जिनकी नाराजगी उस अधिकारी के प्रति हो जिसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा रही हैं, इन शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध शिकायतें कम करने के लिए हल खोजा जाना चाहिए। यह कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि अनासन्तुष्ट नौकरशाही प्रशासन की दक्षता में सहायक होती है।

10. तदनुसार, अपील खर्चे सहित मंजूर की जाती है।

अपील मंजूर की गई।

श्री०